

नगर परिषद देहरा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

1.4.2015 से 31.3.2017

भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद देहरा के लेखों का अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता कुमारी	1-4-2015 से 31-3-2017

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री महेश दत्त शर्मा	6-4-2015 से 13-3-2016
2	श्री किशोरी लाल ठाकुर	14-3-2016 से 31-3-2017

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र०सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं०	₹ (लाखों में)
1	अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का अनुपयुक्त पाया जाना	7	187.13
2	अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	8	335.43
3	निक्षेप कार्य करवाने के लिए भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे	9	1250.00
4	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10 (क)	19.17
5	दुकानों के किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11	20.52
6	दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	12	2.33
7	नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन की राशि का अधिक भुगतान करना	16	1.04
8	PENSION & GRATUITY निधि में राशि जमा न करना	18	5.58

9	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की राशि की वसूली न करना	19	0.98
10	निर्माण कार्य बिलों से श्रमकर की वसूली न करना	20	0.98

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद देहरा के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखों का अंकेक्षण कार्य श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3-7-2017 से 29-7-2017 तथा दिनांक 23-11-2017 से 29-11-2017 तक देहरा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	3/2016	3/2016
2016-17	3/2017	5/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गयी किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹47800 आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 306/2017 दिनांक 29-11-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद देहरा के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) मुख्य रोकड़ वही :- (परिशिष्ट “ख”)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	स्व स्रोत से आय	अनुदान	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	10530155	8250976	10801117	29582248	21827961	7754287
2016-17	7754287	7150412	31039746	45944445	27151675	18792770

दिनांक 31-03-2017 को अंतशेष का विवरण :---

Sr.No.	Name of Bank	Account No.	Amount
1	KCCB, Dehra	200080-33700	205399.5

2	KCCB, Dehra	200080-34567	660002
3	HGB, Dehra	878601000-33060	2362870
4	HGB, Dehra	878601000-4460	31143.04
5	PNB, Dehra	4067000100-267902	1083302
6	SBI, Dehra	308089-65287	14390233
	Total		18732949
	Cash in Hand		104601
	Grand Total		18837550

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	:	18792770
दिनांक 31.03.17 को बचत, सावधि तथा हस्तगत राशि का शेष	:	18837550
अन्तर की राशि	:	44780

समाधान विवरण:- दिनांक को रोकड़ वही तथा बैंक जमाओं/हस्तगत के रूप में जमा राशि में ₹44780 का अंतर था जिसका समाधान विवरण निम्न प्रकार से है तथा जिसका विवरण परिशिष्ट (ग) पर भी सलग्न है।

Bank Reconcillation of NP DEHRA as on 31.03.2017

Balance as per Cash Book as on 31-3-2017 = 18792770

Add:- Cheque issued but not presented for payment up to 31-3-2017

Sr No.	Cheque No.	Date	Bank	Amount	
1	356055	22-12-16	PNB Dehra	3870	
2	356070	23-02-17	PNB Dehra	1255	+ 44780
3	356092	24-03-17	PNB Dehra	2969	
4	356093	24-03-17	PNB Dehra	1976	
5	34503	25-03-17	PNB Dehra	2335	
6	345801	28-03-17	PNB Dehra	15000	
7	345802	28-03-17	PNB Dehra	15000	
8	345804	28-03-17	PNB Dehra	2375	
			Total	44780	

Balance as per Pass Book/ FDR/cash in hand 18837550

Sr. No.	Name of Bank	Account No.	Amount
1	KCCB, Dehra	200080-33700	205399.5
2	KCCB, Dehra	200080-34567	660002
3	HGB, Dehra	878601000-33060	2362870
4	HGB, Dehra	878601000-4460	31143.04
5	PNB, Dehra	4067000100-267902	1083302
6	SBI, Dehra	308089-65287	14390233
		Total	18732949

Cash in hand

104601

Grand Total

18837550

(ख) पेंशन रोकड़ वही

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	303075	2071793	2374868	1453529	921339
2016-17	921339	977111	1898450	1183018	715432

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में अन्तिम शेष : 715432

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : 715432

(i) हिमाचल ग्रामीण बैंक देहरा के बचत खाता संख्या 87860100034731 में जमा राशि : 68563

(ii) SBI देहरा के बचत खाता संख्या 87860100034731 में जमा राशि : 46869

योग

715432

(ग) रोकड़ बहियों का रख रखाव उचित प्रकार से न करना

मुख्य रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि कई प्रकरणों में रोकड़ वही में वाउचर संख्या नहीं दर्शाई गई थी तथा PENSION & GRATUITY निधि की अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की रोकड़ वही कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गयी थी जिस बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

5 तीन वर्षों का आय व्यय 1.4.2014 से 31.3.2017 का विवरण

नगर परिषद देहरा के गत तीन वर्षों के शीर्षवार आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

Income Statement for Last three Years

Sr.

No.	Head of account	2014-15	2015-16	2016-17
1	Birth & Death Cert.fee	22785	19032	15235
2	Building Approval fee	69380	52215	26601
3	Tehbazari Fee	44760	57440	93200
4	Slaughter House Fee	980	900	0
5	Tree cutting Fee	230	0	0
6	Trade Tax	0	33300	0
7	House Tax	156550	55850	576479
8	Liquor tax	343074	303982	0
9	Ground tax	0	0	80800
10	Rent	820923	1057393	2255905
11	Bus Adda Entry Fee	2486250	4665075	2640000
12	Toilet fee	0	0	222620

13	Misc. Income	311846	1540314	749493
14	Bank Inttst.	359670	465475	490079
15	Govt.Grants	14389619	10801117	31039746
	Total	19006067	19052093	38190158

Expenditure Statement for last three Years

Sr. No.	Head of account	2014-15	2015-16	2016-17
1	Establishment Head			
I	Pay	630758	824121	991774
II	Allowance	609101	722936	1498892
III	CPF/GPF/Pension&Gratuity	1016703	623136	523832
IV	Office Exp	195575	289572	44249
2	PH/Sanitation Head			
I	Pay	1064891	1233092	910784
II	Allowance	1025423	1136932	1351628
III	CPF/GPF/Pension&Gratuity	518092	752251	560062
IV	Other Exp		75000	2960
V	Sanitation work on contract	564253	877211	1315403
3	Municipal Work Head			
I	Pay	1105038	1297383	643416
II	Allowance	1091520	1118057	1037309
III	CPF/GPF/Pension&Gratuity	495176	855253	579929
IV	Other Exp	25105	162000	109464
V	Vehicle Expenses	169486	192242	0
4	Street Light/Electricity	2143152	3058718	1098840
5	Municipal Council Work	4578231	8424057	16216733
6	Honourarium	201200	161000	253400
7	Law Charges	20000	25000	13000
	Total	15453704	21827961	27151675

6 अनुदान

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट (घ) पर भी दिया गया है।

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	योग	व्यय	अंत शेष
2015-16	10414652	10801117	21215769	13518577	7697192

- 7 दिनांक 31-03-2017 को अनुदान की ₹187.13 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना
 अंकेक्षण को परिशिष्ट (घ) के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को गत वर्षों के प्राप्त अनुदानों में से ₹18712571 व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं। अतः अनुपयुक्त इस राशि को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।
- 8 व्यय से सम्बन्धित ₹335.43 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना
 अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट (घ) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹33542944 का व्यय किया गया दर्शाया गया है। अनुदान के रूप में प्राप्त राशि की अनुदान रजिस्टर में न तो प्राप्ति की प्रविष्टियाँ दर्ज हैं न ही अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गयी है, उसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि अनुदान रजिस्टर में अनुदान राशि के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर व्यय करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/ वाउचर इत्यादि अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाए व सत्यापना हेतु सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।
- 9 निक्षेप कार्य करवाने के लिए भुगतान की गई ₹125.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे
 नगर परिषद देहरा द्वारा ₹12500000 Engineer-in-chief (IPH) US CLUB शिमला -1 के पास नगर परिषद की sevrege स्कीम का निक्षेप कार्य करवाने के लिए जमा करवाए हैं। अतः कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से लेकर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ।
- | मास | राशि |
|------------|-----------------|
| 5/2016 | 2500000 |
| 7/2016 | 10000000 |
| योग | 12500000 |

10 गृहकर

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षणधीन अवधि में गृहकर की वसूली तथा इसके निर्धारण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीं :---

(क) दिनांक 31-03-2017 को गृहकर की ₹19.17 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट (ड.) के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद में 1-4-2015 को गत वर्षों के गृहकर के रूप में ₹1181242 वसूली हेतु शेष थे। अवधि 1-4-2015 से 31-03-2017 के दौरान ₹1367772 की अतिरिक्त मांग की गयी लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर के रूप में मात्र ₹632279 वसूली की गयी जो कि आपत्तिजनक है। नगर परिषद द्वारा आज तक किसी भी व्यक्ति को गृहकर की वसूली हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया व न ही गृहकर की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई गयी है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 258 में उल्लेखित प्रावधानों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹1916735 की वसूली सम्भव हो सके व नगर परिषद की अपने स्रोतों की आय में वृद्धि सम्भव हो सके। इस प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) गृहकर की लंबित बकाया राशि को आरम्भिक शेष में न दर्शाना

नगर परिषद देहरा के 2016-17 की जाँच में पाया गया कि 2015-16 के जिन गृह स्वामियों का गृह कर बकाया था उसे 2016-17 गृहकर रजिस्टर में आरम्भिक शेष नहीं दर्शाया गया है ! यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 160/2017 दिनांक 5-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा ने अपने पत्र संख्या 473 दिनांक 10-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 2016-17 के बिल ON LINE तैयार किये गये हैं और गृहकर के बिल ON LINE ही लिए जा रहे हैं। गृहकर के मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर की प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरांत आगामी अंकेक्षण पर दिखा दी जाएगी।

11 दुकानों के किराए के रूप में दिनांक 31-03-2017 को ₹20.52 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट (ड.) के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को किराये के रूप में ₹2051865 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है तथा देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर परिषद /पंचायत सचिव /कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत / नगर परिषद /नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

12 दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में दिनांक 31-03-2017 को ₹2.33 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को परिशिष्ट (ड.) पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31-03-2017 को दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में ₹233260 वसूली की जानी शेष थी | हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि/ टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है तथा देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर परिषद /पंचायत सचिव /कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म , संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा | नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म , संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई | अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराय की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए |

13 टावर टैक्स की वसूली बारे

नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में स्थापित किये गये टॉवरों से प्राप्त स्थापना शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क की सूचना निर्धारित प्रोफोर्मा पर उप्लब्ध नहीं करवाई गयी जिसकी सूचना आगामी अंकेक्षण पर उप्लब्ध की जाए |

14 (क) दुकानदारों से समाहर्ता देहरा द्वारा लगाए गये हर्जाने की ₹0.77 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिषद देहरा द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के मामले अदालत समाहर्ता देहरा के पास किराये की लम्बित वसूली हेतु दायर थे | समाहर्ता देहरा ने इन मामलों का निर्णय करते हुए लम्बित किराये तथा हर्जाने की राशि को एक माह के भीतर नगर परिषद के पास जमा करवाने के लिए आदेश पारित किये | तदोपरांत दिनांक 27-6-2016 को नगर परिषद की बैठक की मद संख्या 52/2016 में निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार पिछला किराया एक मुश्त 25 प्रतिशत किराये की बढोत्तरी व नया अनुबंध करता है तो आगामी अवधि तक इन दुकानों को दे दिया जाए | इस निर्णय के अनुसार निम्नानुसार दुकानदारों से अनुबंध किये गये परन्तु आदेशों में पारित हर्जाने की ₹77172 की वसूली नहीं की गयी जिसके बारे में मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 159/2017 दिनांक 5-7-2017 के द्वारा ला दिया गया है | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या 472 MCD दिनांक 10-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि हर्जाने की राशि को वसूलने बारे कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

दुकानदार का नाम	दुकान संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक	हर्जाने की राशि	टिप्पणी
श्री कृष्ण देव	25	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 3 /	26000	

		पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012		
श्रीमती सुनीता देवी	59	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 6 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 10-1-2012	9900	
श्री कुलतार सिंह	53	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 9 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012	9900	
श्री चुनी लाल	4	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 4 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012	19272	
श्री प्यार चंद	45	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 2 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012	12100	श्री प्यार चंद द्वारा किराये की राशि अंकेक्षण अवधि से पूर्व ही जमा करवा दी गयी है।
		योग	77172	

(ख) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण आपति के उपरांत किराये तथा हर्जाने की ₹1.39 लाख की एकमुश्त वसूली करना

नगर परिषद देहरा द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के मामले अदालत समाहर्ता देहरा के पास किराये की लम्बित वसूली हेतु दायर थे। समाहर्ता देहरा ने इन मामलों का निर्णय करते हुए लम्बित किराये तथा हर्जाने की राशि को एक माह के भीतर नगर परिषद के पास जमा करवाने अन्यथा दुकाने खाली करने के आदेश पारित किये। तदोपरांत दिनांक 27-6-2016 को नगर परिषद की बैठक की मद संख्या 52/2016 द्वारा निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार पिछला किराया एक मुश्त 25 प्रतिशत किराये की बढोत्तरी व नया अनुबंध करता है तो आगामी अवधि तक इन दुकानों को दे दिया जाए। परन्तु निम्नानुसार दुकानदारो ने न तो किराये में बढोत्तरी की है, न ही अदालत द्वारा लगाये हर्जाने की राशि जमा करवाई है और न ही इन्होंने दुकानें खाली की हैं।

दुकानदार का नाम	दुकान संख्या	मुकदमा संख्या व दिनांक
श्री लखविन्द्र कुमार	51	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 5/ पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012
श्री शरद सूद	52	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 1 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012
श्री अजय कुमार	58	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 8 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 10-1-2012
श्री कुशल ठाकुर	56	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 10/ पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 10-1-2012
श्री कृष्ण देव	25	मुकदमा कब्जा नाजायज नम्बर 3 / पी पी एक्ट / 2010 दिनांक 5-1-2012

यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र

संख्या 159/2017 दिनांक 5-7-2017 के द्वारा लाया गया | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या 472 MCD दिनांक 10-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि श्री अजय कुमार तथा श्री शरद सूद से किराये तथा हर्जाने की ₹139470 की वसूली एकमुश्त कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है |

दुकानदार का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	किराया राशि	हर्जाना राशि	योग
अजय कुमार	11/2017	27-7-2017	64011	9350	73361
शरद सूद	14/2017	28-7-2017	54669	11440	66109
				योग	139470

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि अन्य मामलों में उनके द्वारा राशि को वसूलने बारे कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

(ग) दुकान छोड़कर जा चुके दुकानदार से लम्बित किराये की ₹0.08 लाख की वसूली न करना

दुकान किराया मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 38 श्री लाल चन्द को आबंटित की गयी थी तथा वह इस दुकान को 4/2015 से पहले ही खाली कर गये हैं | दिनांक 31-3-2017 को उनसे ₹8400 किराये की वसूली लम्बित है, जिसके बारे में मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 157/2017 दिनांक 5-7-2017 के द्वारा लाया गया | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या 471 MCD दिनांक 10-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि लम्बित किराया वसूलने के उपरांत विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

(घ) दुकानें किराये पर न देने के कारण नगर परिषद को हो रही वित्तीय हानि के बारे में

दुकान किराया मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 23,38,7 अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक खाली दर्शाई गयी हैं | दुकानें किराये पर न देने के कारण नगर परिषद को हो रही वित्तीय हानि के बारे में मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 156/2017 दिनांक 5-7-2017 के द्वारा लाया गया | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या 470 MCD दिनांक 10-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि शीघ्र ही खाली पड़ी दुकानें किराये पर देने के उपरांत विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

(ड.) निम्नानुसार दुकानों के अनुबंध जाँच हेतु उपप्लब्ध नहीं करवाए गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपप्लब्ध करवाया जाए :--

दुकानदार / विभाग का नाम	दुकान संख्या
एरिया मैनेजर ऑफ़ सिविल सप्लाईज	8
श्री बनारसी दास	11
श्री राम गोपाल	12
श्री अवतार सिंह	20
श्री रवीन्द्र सिंह	21
श्री सुनील कुमार	75
श्री संजीव कुमार	76

श्री अनिल कुमार	79
श्री प्रवीन कुमार	85
श्री जगतार सिंह	97
श्री आकाश वशिष्ठ	98
श्री विनोद कुमार	99

15 स्वीकृत बजट राशि से ₹103.15 लाख का अधिक व्यय करना

नगर परिषद देहरा का अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार था :---

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अंतर
2015-16	17530000	21827961	4297961
2016-17	21135000	27151675	6016675
		योग	10314636

स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गयी ₹10314636 का अनुमोदन / स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन ₹1.04 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद देहरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 207/MCD/2015 दिनांक 1-4-2015 के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR) B (7) 59/2010 दिनांक 9-8-2012 के अनुसार नगर पालिका कर्मचारियों को ACPS का लाभ दिया गया है। प्रस्ताव में लिए गये निर्णय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किशतों में किया जाना है, परन्तु नगर परिषद कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों को ACPS गलत रूप से देने तथा गलत गणना करने के कारण परिशिष्ट (च) से (ढ) पर लगाये गये विवरण के अनुसार निम्न कर्मचारियों को ₹104344 का अधिक भुगतान बनता है। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 168/2017 दिनांक 15-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया तदनुसार कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 780 MCD दिनांक 23-11-2017 के माध्यम से सूचित किया है कि शीघ्र ही राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद	अधिक भुगतान	परिशिष्ट
1	श्रीमती नारायणी देवी सफाई कर्मचारी	82812	च
2	श्री कुलभूषण टोल गार्ड	2579	छ
3	श्री राकेश कुमार बेलदार	2579	ज
4	श्री शक्ति चन्द सफाई कर्मचारी	2579	झ
5	श्रीमती विमला देवी सफाई कर्मचारी	2579	ञ
6	श्री मनोहर लाल बेलदार	2579	ट
7	श्री राज सिंह सफाई कर्मचारी	2579	ठ
8	श्री राकेश कुमार सफाई कर्मचारी	3462	ड

17 श्री गोपाल दास वर्क सुपरवाइजर को ACPS(4-9-14) तथा THREE TIER PAY का लाभ देने बारे

श्री गोपाल दास वर्क सुपरवाइजर की सेवा पुस्तिका तथा वेतन निर्धारण आदेशों की जांच करने पर पाया गया कि उन्होंने दिनांक 1-4-1999 को नगर परिषद देहरा में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करना शुरू किया है। उन्हें दिनांक 27-8-2009 को द्वितीय ACPS तथा दिनांक 1-4-2013 को 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त तृतीय ACPS का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या : फिन(पी आर) – बी (7) - 64/2010 दिनांक 27-9-2012 के अनुसार उन्हें TECHNICIAN GRADE-1 मानते हुए ग्रेड PAY ₹3200 का भी भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग के पत्र संख्या : फिन(पी आर) – बी (7) -45/2010 दिनांक 29-5-2014 के अनुसार जिन कर्मचारियों को THREE TIER PAY देय है उन्हें ACPS(4-9-14) का भुगतान नहीं किया जाना है। अतः कर्मचारी का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग के पत्र संख्या : फिन(पी आर) – बी (7) -45/2010 दिनांक 29-5-2014 के अनुसार पुनः निर्धारित करके यदि अधिक भुगतान किया गया है तो उसकी गणना अपने स्तर पर करके वसूली सुनिश्चित की जाए। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 189/2017 दिनांक 29-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया।

18 PENSION & GRATUITY निधि में ₹5.58 लाख को जमा न करना

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UDH(B)(10)2/2000 – 16394-16442 दिनांक 20-12-2003 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार “ pension & gratuity fund will be contributed by the municipalities @12% and 5% of the maximum of pay scale of all the created / sanctioned posts irrespective of the fact whether they are filled up or are vacant.” | इसके अतिरिक्त बजट का 1 % प्रशासनिक व्यय के रूप में भी pension & gratuity fund में जमा करवाया जाना है, परन्तु जांच में पाया गया कि निम्नानुसार ₹557786 pension & gratuity fund में जमा नहीं करवाए गये।

मास	pension & gratuity निधि की राशि	
5/2016		85568
11/2016		85568
	योग	171136
वर्ष	स्वीकृत बजट	1% भाग
2015-16	1753000	175000
2016-17	21135000	211350
	योग	386650

इस प्रकार ₹557786 (171136+386650) pension& gratuity निधि में जमा नहीं करवाए गये। pension& gratuity निधि की रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि 4/2015 से पहले के वर्षों में भी बजट का 1 % भाग pension & gratuity fund में जमा नहीं जमा करवाया गया है,

जिसकी गणना अपने स्तर पर की जाए। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 168/2017 दिनांक 15-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा ने अपने पत्र संख्या 783 MCD दिनांक 23-11-2017 के द्वारा सूचित किया है कि शीघ्र ही यह राशि pension & gratuity fund में जमा करवा दी जाएगी। अतः राशि जमा करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

19 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से बिक्री कर की ₹0.98 लाख की वसूली न करना

अवर सचिव (इ एंड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : EXN-F(5)-1/2010 Loose दिनांक 13-8-2012 के अनुसार श्रेणी सी तथा डी संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की वसूली दर 3% निर्धारित की गई है परन्तु नगर परिषद में संविदाकारों के निर्माण बिलों से 2% की दर से बिक्री कर की वसूली की गयी जिसके कारण बिक्री कर 1% (3-2) की दर से कम करने के कारण ₹98254 की वसूली नहीं की गई। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 183/2017 दिनांक 25-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा ने अपने पत्र संख्या 782 MCD दिनांक 23-11-2017 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार निर्माण कार्यों से बिक्री कर की वसूली आरम्भ कर दी जाएगी अतः निम्नानुसार भी वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Name of Contractor	Name of work	MB. No & Page No..	Gross Amount	SALES TAX @ 1%(3-2) TO BE DEDUCTED MORE
Sh.Sher khan	(1)R/M street toward DAV school Ph-i	45/76-77	115293	1153
	(2) R/M street toward DAV School Ph-ii	45/78-79	54788	548
	(3) C/O open yard in meat market at bus stand	45/79-80	115830	1158
Sh.Dinesh kumar	(1)R/M of road in ward no.1&7 Ph-i(2) R/M of road in ward no.1&7 Ph-ii	45/81	103255	1033
		45/82	103255	1033
Sh.kuldeep singh	(1)R/M Street in ward no-4	45/84	120678	1207
	(2) R/M Street in ward no-4	45/87	53314	533
Sh. Surinder Singh	(1)R/M street in ward no.3 Ph-i	45/69	114667	1147
	(2) R/M street in ward no.3 Ph-ii	45/70	119518	1195
	(3) R/M street in ward no.3 Ph-iii	45/72	114176	1142
	(4) R/M street in ward no.3 Ph-iv	45/74-75	120793	1208
Sh.Himanshu	Laying RCC hume pipe in ward no.6	46//4	98350	984
Sh.Jai Parkesh walia	Modification of stadium Ph-3 rd	46/1	115344	1153
Sh.Vishal Sharma	Modification of stadium Ph-4 rd	46/8-9	166855	1669

Sh.Surinder kumar	Modification of stadium Ph-4 rd	46/9	150386	1504
Sh.Dinesh singh	C/O road near the house of C/O road in wardno.1&7	46/13	99373	994
	M/T of bus stand Dehra		105296	1053
Sh.Sher khan	M/T of bus stand Dehra ph-i	46/14	164882	1649
	M/T of bus stand Dehraph-ii	46/15-16	161343	1613
	M/T of bus stand Dehra-iii	46/17-18	179685	1797
	M/T of bus stand Dehra-iv	46/18	158108	1581
		46/20	168577	1686
Sh. Kuldeep singh	R/M path in ward no.1	46/10-11	115383	1154
	C/o road in ward no.4			651
		46/12	65063	
Sh.Jaundu Ram	C/o Maharana Rana Partap Bhawan	46/22-24	109121	1091
	C/o Maharana Rana Partap Bhawan Ph-i	46/25	30594	306
	C/o Maharana Rana Partap Bhawan Ph-ii	46/26-27	190025	1900
Sh.Malkiat singh	R/M street in ward no.2	45/88-89	89978	900
Kumar electricnic	Modification of stdium P/F High Mast light	45	582000	5820
Sh. Dinesh Sharma	C/o Path in W.N03	46/28-29	74403	744
Sh. Kuldeep singh	C/O hawa Ghar W.no.4	46/29-31	125266	1253
Sh.Akhilesh kumar	C/o drain in w,no.7		60202	602
Sh.Akhilesh kumar	C/o drain in w.no.7	46/33-35	37566	376
Sh.Surinder singh	C/o community Bhawan	46/14	100000	1000
Sh. Surinder singh	C/o community Bhawan	46/15	100000	1000
Sh. Dinesh Sharma	C/o road near Ayur vedic Hospital	46/49-50	93953	940
Sh. Dinesh Sharma	C/o road near Ayur vedic Hospital	46/50	114169	1142
Sh. Sunil kumar	R/M of Street	46/53	110094	1101
Sh.Vishal kumar	C/o conpy at stadium	46/39	220591	2206
Sh. Sehar khan	C/O drain in w.no.3	46/11	179503	1795
Sh. Kuldeep Singh	C/O pucca path in w.no.1	46/47	105735	1057
Sh.Surinder singh	R/M of path in w.no.7	46/52	111629	1116

Sh.surinder singh	C/O pucca path in w.no1	46/46-47	106642	1066
Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/55	168222	1682
Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/57	167942	1679
Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/59	169107	1691
Sh. Malkait singh	C/O pucca road	46/61	118109	1181
Sh. Malkait singh	Pucca path in w.n.3&5	46/62	122377	1224
Sh. Malkait singh	Pucca path in w.n.3&5	46/64-65	115762	1158
Sh.Sunil kumar	R/M Street in w.no.4	46/65-66	129809	1298
Sh. Dinesh Sharma	C/O road near Ayurvedic Hospital	46/93-94	120347	1203
Sh. Dinesh Sharma	C/O road near Ayurvedic Hospital	45/95-96	118624	1186
Sh.Surinder singh	Filling of bus stand	45/97	79922	799
Sh.J.P.walia	C/O HRTC road	45/90	101799	1018
Sh.J.P.walia	C/O HRTC road	45/91	101799	1018
Sh. Kuldeep kumar	C/O Hawaghar in w.no.4	67,68/46	94288	943
Sh. Kuldeep kumar	C/O Path in W.no.2	68,70/46	97395	974
Sh. Kuldeep kumar	C/O Mahila Mandal in w.no.4	70,73/46	96259	963
Sh.Vishal Sharma	P/F railing in w.no.3	73,74/46	101731	1017
Sh.Sherkhan	C/O path in W.No.6	74,75/46	88929	889
Sh.Sherkhan	R/M street in W.No.6	75,76/46	89700	897
Sh.Dinesh kumar	C/O drain in w.no.7	80,81/46	121361	1214
Sh.Dinesh kumar	C/O road in w.no.7	80,81/46	132854	1329
Sh.Dinesh kumar	C/O road in w.no.1	81,82/46	114095	1141
Sh.Akhilesh kumar	C/O drain in w.no.7	90,91/46	26701	267
Akhilesh kumar	C/O drain in w.no.7	92,93/46	47028	470
Sh.Rajeev Sharma	C/O path in W.No. 1	89,90/46	103369	1034

Sh.Surinder singh	R/M road in w.NO.3	93,94/46	118542	1185
Sh. Suneel Kumar	C/O retaining wall in ward no.3	99,101/46	124197	1242
Sh. Surinder Singh	R/M street in Ward no.7	87,88/46	106055	1061
Sh.Parminder Rana	C/O Toilet in Ward no. 3	96,99/46	171205	1712
Sh. Surinder Singh	R/M road in ward no. 3	95,96/46	112746	1127
Sh. Rajeev Kumar	R/M street in ward no. 2	65,66/46	116450	1165
Sh. Kuldeep singh	R/M road drain in ward no. 3	67,68/46	104425	1044
Sh.Harbansh Lal	C/O path in dandeya peepal	78,79/43	100445	1004
Sh. Surinder Singh	C/O shop & step in stadium	71,72/43	42416	424
Sh.Akhilesh Kumar	C/O drain in w.n.6	76,77/43	52069	521
Sh. Surinder Singh	C/O path in w.no. 1	70,71/43	87255	873
Sh. Rajeev Kumar	C/O near dandya da peepal	74,75/43	93805	938
Sh. Kuldeep singh	R/M road and c/o drain in w.4	80/43	100000	1000
Sh.Sherkhan	C/O drain in w.no. 3	81,82/43	52713	527
Sh. Surinder Singh	C/O toe walts in w.3& 5	72,74/43	81088	811
Sh.Dinesh sharma	C/O road in w.n.1	82,83/43	108889	1089
Sh.Dinesh sharma	C/O road in w.n.1	83,84/43	107972	1080
Sh.Gaurav Dogra	C/O path in w.no. 1&7	1,2/47	91883	919
			9825367	98254

20 लेबर सेस की ₹0.98 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के Building & Other construction works (आई इ एंड सी एस) एक्ट 1996 के अनुसार लेबर सेस की वसूली दर संविदाकारों के बिलों से 1% निर्धारित की गई है परन्तु नगर परिषद में संविदाकारों के निर्माण बिलों से निर्धारित दर पर लेबर सेस ₹98254 की वसूली नहीं की गई। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 183/2017 दिनांक 25-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा ने अपने पत्र संख्या 782 MCD दिनांक 23-11-2017 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में

सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार निर्माण कार्यों से लेबर सेस की वसूली आरम्भ कर दी जाएगी | अतः निम्नानुसार भी वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

Name of Contractor	Name of work	MB. No & Page No..	Gross Amount	Labour Cess @ 1%
Sh.Sher khan	(1)R/M street toward DAV school Ph-i	45/76-77	115293	1153
	(2) R/M street toward DAV School Ph-ii	45/78-79	54788	548
	(3) C/O open yard in meat market at bus stand	45/79-80	115830	1158
Sh.Dinesh kumar	(1)R/M of road in ward no.1&7 Ph-i	45/81	103255	1033
	(2) R/M of road in ward no.1&7 Ph-ii	45/82	103255	1033
Sh.kuldeep singh	(1)R/M Street in ward no-4	45/84	120678	1207
	(2) R/M Street in ward no-4	45/87	53314	533
Sh. Surinder Singh	(1)R/M street in ward no.3 Ph-i	45/69	114667	1147
	(2) R/M street in ward no.3 Ph-ii	45/70	119518	1195
	(3) R/M street in ward no.3 Ph-iii	45/72	114176	1142
	(4) R/M street in ward no.3 Ph-iv	45/74-75	120793	1208
Sh.Himanshu	Laying RCChume pipe in ward no.6	46//4	98350	984
Sh.Jai Parkesh walia	Modification of stadium Ph-3 rd	46/1	115344	1153
Sh.Vishal Sharma	Modification of stadium Ph-4 rd	46/8-9	166855	1669
Sh.Surinder kumar	Modification of stadium Ph-4 rd	46/9	150386	1504
Sh.Dinesh singh	C/O road near the house of C/O road in wardno.1&7	46/13	99373	994
Sh.Sher khan	M/T of bus stand Dehra		105296	1053
	M/T of bus stand Dehra ph-i	46/14	164882	1649
	M/T of bus stand Dehraph- ii	46/15-16	161343	1613
	M/T of bus stand	46/17-18	179685	1797
	M/T of bus stand	46/18	158108	1581

	Dehra-iii M/T of bus stand Dehra-iv	46/20	168577	1686
Sh. Kuldeep singh	R/M path in ward no.1 C/o road in ward no.4	46/10-11 46/12	115383 65063	1154 651
Sh.Jaundu Ram	C/o Maharana Rana Partap Bhawan C/o Maharana Rana Partap Bhawan Ph-i C/o Maharana Rana Partap Bhawan Ph-ii	46/22-24 46/25 46/26-27	109121 30594 190025	1091 306 1900
Sh.Malkiat singh	R/M street in ward no.2	45/88-89	89978	900
Kumar electricnic	Modification of stdium P/F High Mast light	45	582000	5820
Sh. Dinesh Sharma	C/o Path in W.N03	46/28-29	74403	744
Sh. Kuldeep singh	C/O hawa Ghar W.no.4	46/29-31	125266	1253
Sh.Akhilesh kumar	C/o drain in w,no.7		60202	602
Sh.Akhilesh kumar	C/o drain in w.no.7	46/33-35	37566	376
Sh.Surinder singh	C/o community Bhawan	46/14	100000	1000
Sh. Surinder singh	C/o community Bhawan	46/15	100000	1000
Sh. Dinesh Sharma	C/o road near Ayur vedic Hospital	46/49-50	93953	940
Sh. Dinesh Sharma	C/o road near Ayur vedic Hospital	46/50	114169	1142
Sh. Sunil kumar	R/M of Street	46/53	110094	1101
Sh.Vishal kumar	C/o conpy at stadium	46/39	220591	2206
Sh. Sehar khan	C/O drain in w.no.3	46/11	179503	1795
Sh. Kuldeep Singh	C/O pucca path in w.no.1	46/47	105735	1057
Sh.Surinder singh	R/M of path in w.no.7	46/52	111629	1116
Sh.surinder singh	C/O pucca path in w.no1	46/46-47	106642	1066

Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/55	168222	1682
Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/57	167942	1679
Sh. Surinder singh	Tarring of road in w.no 4	46/59	169107	1691
Sh. Malkait singh	C/O pucca road	46/61	118109	1181
Sh. Malkait singh	Pucca path in w.n.3&5	46/62	122377	1224
Sh. Malkait singh	Pucca path in w.n.3&5	46/64-65	115762	1158
Sh.Sunil kumar	R/M Street in w.no.4	46/65-66	129809	1298
Sh. Dinesh Sharma	C/O road near Ayurvedic Hospital	46/93-94	120347	1203
Sh. Dinesh Sharma	C/O road near Ayurvedic Hospital	45/95-96	118624	1186
Sh.Surinder singh	Fillimg of bus stand	45/97	79922	799
Sh.J.P.walia	C/O HRTC road	45/90	101799	1018
Sh.J.P.walia	C/O HRTC road	45/91	101799	1018
Sh. Kuldeep kumar	C/O Hawaghar in w.no.4	67,68/46	94288	943
Sh. Kuldeep kumar	C/O Path in W.no.2	68,70/46	97395	974
Sh. Kuldeep kumar	C/O Mahila Mandal in w.no.4	70,73/46	96259	963
Sh.Vishal Sharma	P/F railing in w.no.3	73,74/46	101731	1017
Sh.Sherkhan	C/O path in W.No.6	74,75/46	88929	889
Sh.Sherkhan	R/M street in W.No.6	75,76/46	89700	897
Sh.Dinesh kumar	C/O drain in w.no.7	80,81/46	121361	1214
Sh.Dinesh kumar	C/O road in w.no.7	80,81/46	132854	1329
Sh.Dinesh kumar	C/O road in w.no.1	81,82/46	114095	1141
Sh.Akhilesh kumar	C/O drain in w.no.7	90,91/46	26701	267
Akhilesh kumar	C/O drain in w.no.7	92,93/46	47028	470
Sh.Rajeev Sharma	C/O path in W.No. 1	89,90/46	103369	1034
Sh.Surinder singh	R/M road in w.NO.3	93,94/46	118542	1185

Sh. Suneel Kumar	C/O retaining wall in ward no.3	99,101/46	124197	1242
Sh. Surinder Singh	R/M street in Ward no.7	87,88/46	106055	1061
Sh.Parminder Rana	C/O Toilet in Ward no. 3	96,99/46	171205	1712
Sh. Surinder Singh	R/M road in ward no. 3	95,96/46	112746	1127
Sh. Rajeev Kumar	R/M street in ward no. 2	65,66/46	116450	1165
Sh. Kuldeep singh	R/M road drain in ward no. 3	67,68/46	104425	1044
Sh.Harbansh Lal	C/O path in dandeya peepal	78,79/43	100445	1004
Sh. Surinder Singh	C/O shop & step in stadium	71,72/43	42416	424
Sh.Akhilesh Kumar	C/O drain in w.n.6	76,77/43	52069	521
Sh. Surinder Singh	C/O path in w.no. 1	70,71/43	87255	873
Sh. Rajeev Kumar	C/O near dandya da peepal	74,75/43	93805	938
Sh. Kuldeep singh	R/M road and c/o drain in w.4	80/43	100000	1000
Sh.Sherkhan	C/O drain in w.no. 3	81,82/43	52713	527
Sh. Surinder Singh	C/O toe walts in w.3& 5	72,74/43	81088	811
Sh.Dinesh sharma	C/O road in w.n.1	82,83/43	108889	1089
Sh.Dinesh sharma	C/O road in w.n.1	83,84/43	107972	1080
Sh.Gaurav Dogra	C/O path in w.no. 1&7	1,2/47	91883	919
			9825367	98254

21 निर्माण कार्यों के लिए संविदाकारों को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद देहरा की मापन पुस्तिकों की गणना की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की निष्पादित की गयी मदों की गलत गणना के कारण संविदाकारों को ₹11500 का अधिक भुगतान किया गया। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 176/2017 दिनांक 22-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	मापन पुस्तिका सं. व पृष्ठ सं.	मद का नाम	ली गई मात्रा	उचित गणना	अंतर	दर	राशि	टिप्पणी
c/o Hawa	श्री कुलदीप सिंह	46 & 67-68	Steel work welded	1209.80kg	1067.06 kg	142.74kg	68	9706	EO द्वारा मापन पुस्तिका में भुगतान आदेश

ghar in w.n. 4			in built up section						पारित नहीं किया गया
c/o drain work in w.n. 7	श्री अखिलेश कुमार	46 & 92-93	CC 1:6:12	5.15m ³	4.37 m ³	0.78 m ³	2300	1794	
						कुल योग		11500	

22 श्री कुलदीप सिंह, संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे

निर्माण कार्य “C/O Pucca Path from Haripur Road TO Balkrishn House Ward No.1” की मापन पुस्तिका की गणना की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण गलत गणना के कारण श्री कुलदीप सिंह, संविदाकार को ₹1885 का अधिक भुगतान किया गया ! यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 17 4/2017 दिनांक 22-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया | अतः अधिक भुगतान की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

मद संख्या	मद का नाम	ली गई मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	Excavation in foundation & trenches etc	17.68m ³	169	3482	2988	494
2	CC 1:6:12	17.39m ³	2300	41388	39997	1391
					कुल योग	1885

23 श्री सुरेंद्र सिंह, संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे

निर्माण कार्य “C/O Pucca Path from M C Road to Pilli old house side Rajgarh W.N.1” की प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 46 के पृष्ठ 46 व 47 पर दर्ज हैं। निर्माण कार्य की निविदाओं की जांच करने पर पाया गया कि श्री सुरेंद्र सिंह संविदाकार की दरें निम्नतम होने के कारण उन्हें यह कार्य आंबटित किया गया उनकी निविदा में मद संख्या 2 “P/L CC 1:6:12” की दर ₹2500 को OVERWRITE करके ₹2600 करने के कारण 15.09 घन मीटर मात्रा के लिए ₹1509 (15.09 X 100) का अधिक भुगतान किया गया। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 180/2017 दिनांक 24-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया | कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा ने अपने पत्र संख्या 781 दिनांक 24-7-2017 के द्वारा सूचित किया है कि शीघ्र ही राशि की वसूली कर ली जाएगी | अतः वसूली करने के उपरांत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

24 निर्माण कार्यों की निविदाएँ जाँच हेतु उपप्लब्ध न करवाना

मास 5/2016 के निर्माण बिलों के भुगतान वोटचर की जाँच में निम्नानुसार दर्शाए गये निर्माण कार्यों की निविदाएँ आवश्यक जांच हेतु उपप्लब्ध नहीं करवाई गयी | यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 179/2017 दिनांक 24-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

देहरा के ध्यान में लाया गया। अतः निविदाएँ आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवानी सुनिश्चित की जाएँ।

मास	निर्माण कार्य का नाम	राशि
5/2016	C/O DRAIN IN WARD NO.7(PHASE 1)	22883
5/2016	C/O DRAIN IN WARD NO.7(PHASE 2)	40302
5/2016	C/O PATH FROM MC ROAD TOWARDS RANBIR SINGH HOUSE.	88588

25 भण्डार से संबंधित अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे

नगर परिषद देहरा निम्नानुसार भंडार रजिस्टर में मदें प्राप्त की गई दर्शाई गई हैं परन्तु उनके मूल बिल अभिलेख में नहीं है !

मद का नाम	मात्रा का नाम	भण्डार रजिस्टर प. सं.
Bitumen	25 ड्रम	29
Cement	180 बैग	62

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए भण्डार से सीमेंट जारी किया गया है जिसे संविदाकार की खाता बही में दर्ज नहीं किया गया है ! यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 169/2017 दिनांक 15-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। अतः अभिलेख उपलब्ध करवाकर आगामी अंकेक्षण में दिखाए जाए !

दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	सीमेंट बैग की मात्रा
6-3-2017	निर्माण कार्य drain नजदीक श्री सुरिंदर का घर वार्ड न. 3	5 बैग
16-3-2017	यथोपरी कार्य	4 बैग

26 M/s Plan Foundation को किए गए ₹1.55 लाख के भुगतान बारे

नगर परिषद देहरा के व्यय की जाँच करने पाया गया कि नगर परिषद द्वारा Survey work of House Tax का कार्य करवाने के लिए M/s Plan Foundation को निम्नानुसार भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त कार्य को करवाने के लिए मंगवाई गई निविदाएँ, आबंटन पत्र आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए ! यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 185/2017 दिनांक 26-7-2017 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा के ध्यान में लाया गया। अतः आवश्यक अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	विवरण	राशि
6-7-2015	Survey work of house tax	75,000
29-1-2016	Survey work of house tax	30,000
18-5-2016	Renewal of site	25,000
2-3-2017	Renewal of site	25,000
	कुल योग	1,55,000

27 संविदाकार खाता बही तैयार न करना

संविदाकारों को अंकेक्षण अवधि में भंडार से सीमेंट बैग जारी किए गए ,परन्तु संविदाकार खाता बही तैयार नहीं की गई | अतः संविदाकार बही अब तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए |

28 नगर परिषद द्वारा अति आवश्यक अभिलेख का रख रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया है

- (i) चिकित्सा दावा बिल जाँच रजिस्टर
- (ii) अग्रिम रजिस्टर
- (iii) निविदा फॉर्म विक्रय रजिस्टर
- (iv) संविदाकार बही
- (v) प्रतिभूति रजिस्टर
- (vi) अनुदान रजिस्टर
- (vii) गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित अतिआवश्यक अभिलेख तैयार करना अनिवार्य है लेकिन नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान का उपरोक्त उल्लेखित कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए |

29 भौतिक सत्यापन न करवाने बारे

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद की सम्पतियों / स्टोर स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष नहीं करवाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.17 के अंतर्गत स्टोर एवं स्टॉक का प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः नगर परिषद की सम्पतियों के स्टोर एवं स्टॉक का वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वर्ष नगर परिषद की सम्पतियों एवं स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

30 लघु आपत्ति विवरणिका :--- यह अलग से जारी नहीं की गई |

31 निष्कर्ष :--- लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- V(23) फिन (एल0ए0डी0) खण्ड-4-3780-3781 दिनांक28.05.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित

- करें।
- 2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

नगर परिशद देहरा, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची

- (क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1962
 1 पैरा 7 अनिर्णीत
- (ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/1962 से 1/1973
 1 पैरा 7 अनिर्णीत
 2 पैरा 8 अनिर्णीत
 3 पैरा 9 अनिर्णीत
- (ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1982
 1 पैरा 9 अनिर्णीत
 2 पैरा 17(ए) अनिर्णीत
 3 पैरा 21(8 बी) अनिर्णीत
 4 पैरा 21(सी) अनिर्णीत
 5 पैरा 22 अनिर्णीत
- (घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983
 1 पैरा 8 अनिर्णीत
 2 पैरा 9 अनिर्णीत
- (ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1985
 1 पैरा 8 अनिर्णीत
 2 पैरा 13(ix) अनिर्णीत
 3 पैरा 13(xiii) अनिर्णीत
 4 पैरा 14(i) अनिर्णीत
 5 पैरा 14(ix) अनिर्णीत
 6 पैरा 14(xiii) अनिर्णीत
- (च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1988
 1 पैरा 7(iii) अनिर्णीत
 2 पैरा 9(i) अनिर्णीत
 3 पैरा 12 अनिर्णीत
 4 पैरा 13(i) अनिर्णीत
 5 पैरा 13(x) अनिर्णीत
 6 पैरा 15(ii) अनिर्णीत
 7 पैरा 15(vi) अनिर्णीत
 8 पैरा 15(vii) अनिर्णीत
 9 पैरा 15(viii) अनिर्णीत
 10 पैरा 15(ix) अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1989

1	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13(vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(xvi)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(xix)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(xx)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(v)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(29)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(39)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(47)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 16(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 16(vi)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1995

1	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 10	अनिर्णीत
13	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(झ)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(त)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(ध)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(न)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(ब)	अनिर्णीत
22	पैरा 12	अनिर्णीत
23	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(iv)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(vii)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2004

1	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत
9	पैरा 20	अनिर्णीत
10	पैरा 21	अनिर्णीत
11	पैरा 22	अनिर्णीत

12	पैरा 23	अनिर्णीत	
13	पैरा 24	अनिर्णीत	
14	पैरा 25	अनिर्णीत	
15	पैरा 26	अनिर्णीत	
16	पैरा 27	अनिर्णीत	
17	पैरा 28	अनिर्णीत	
18	पैरा 29	अनिर्णीत	
19	पैरा 30	अनिर्णीत	
20	पैरा 31	अनिर्णीत	
21	पैरा 32	अनिर्णीत	
22	पैरा 34	अनिर्णीत	
23	पैरा 36	अनिर्णीत	
24	पैरा 38	अनिर्णीत	
25	पैरा 42(i)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
26	पैरा 43	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
27	पैरा 44	अनिर्णीत	
28	पैरा 45	अनिर्णीत	
29	पैरा 46	अनिर्णीत	
30	पैरा 47	अनिर्णीत	
31	पैरा 48	अनिर्णीत	
32	पैरा 49	अनिर्णीत	
(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007			
1	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 2(सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(i)(ए)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(i)(बी)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(i)(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(i)(डी)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	

14	पैरा 5(iv)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(i)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7(ii)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7(iii)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
20	पैरा 9	अनिर्णीत	
(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009			
1	पैरा 2(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(ख)(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(ङ)(1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(ङ)(2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(च)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(झ)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
15	पैरा 4(ञ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत	

25	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत																
26	पैरा 6(क)	अनिर्णीत																
27	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत																
28	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत																
29	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत																
30	पैरा 6(च)	अनिर्णीत																
31	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत																
32	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत																
33	पैरा 7(क)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा															
34	पैरा 7(ख)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा															
35	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत																
36	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत																
37	पैरा 8(क)(1)	अनिर्णीत																
38	पैरा 8(क)(2)	अनिर्णीत																
39	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत																
40	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत																
41	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत																
42	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत																
(ड)	अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011																	
1	पैरा 5	अंशतः निर्णीत	₹600 की वसूली निम्नानुसार कर ली गयी है तथा शेष राशी की वसूली शीघ्र की जाए															
			<table border="0"> <thead> <tr><th>G8 NO.</th><th>DATE</th><th>AMOUNT</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>23६79</td><td>27.12.2013</td><td>200</td></tr> <tr><td>28६173</td><td>3.6.2017</td><td>200</td></tr> <tr><td>28६31</td><td>1.11.2012</td><td>200</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>600</td></tr> </tbody> </table>	G8 NO.	DATE	AMOUNT	23६79	27.12.2013	200	28६173	3.6.2017	200	28६31	1.11.2012	200	TOTAL		600
G8 NO.	DATE	AMOUNT																
23६79	27.12.2013	200																
28६173	3.6.2017	200																
28६31	1.11.2012	200																
TOTAL		600																
2	पैरा 7	अनिर्णीत																
3	पैरा 8(i)	अनिर्णीत																
4	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत																
5	पैरा 9(i)	अनिर्णीत																
6	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत																
7	पैरा 10	अनिर्णीत																
8	पैरा 11	अनिर्णीत																
9	पैरा 12	अनिर्णीत																
10	पैरा 13	अनिर्णीत																

11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	अनिर्णीत	
16	पैरा 19	अनिर्णीत	
17	पैरा 20	अनिर्णीत	
18	पैरा 21	अनिर्णीत	
19	पैरा 22(i)	अनिर्णीत	
20	पैरा 22(ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 23	अनिर्णीत	
22	पैरा 24	अनिर्णीत	
23	पैरा 25	अनिर्णीत	
24	पैरा 26	अनिर्णीत	
25	पैरा 27	अनिर्णीत	
26	पैरा 28	अनिर्णीत	
27	पैरा 29	अनिर्णीत	
28	पैरा 30	अनिर्णीत	
29	पैरा 31	अनिर्णीत	
30	पैरा 32	अनिर्णीत	
31	पैरा 33	अनिर्णीत	
32	पैरा 34	अनिर्णीत	
33	पैरा 35	अनिर्णीत	
34	पैरा 36(i)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
35	पैरा 36(ii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 37	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
37	पैरा 38(i)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
38	पैरा 38(ii)	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
39	पैरा 39	अंशतः निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा (As the

adjustment account of Rs 38653 has
been seen)

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 7	अनिर्णीत
10	पैरा 8	अनिर्णीत
11	पैरा 9	अनिर्णीत
12	पैरा 10	अनिर्णीत
13	पैरा 11	अनिर्णीत
14	पैरा 12	अनिर्णीत
15	पैरा 13	अनिर्णीत
16	पैरा 14	अनिर्णीत
17	पैरा 15	अनिर्णीत
18	पैरा 17	अनिर्णीत
19	पैरा 18	अनिर्णीत
20	पैरा 19	अनिर्णीत
21	पैरा 20	अनिर्णीत
22	पैरा 21	अनिर्णीत
23	पैरा 22	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
24	पैरा 23	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
25	पैरा 24	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
26	पैरा 25	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
27	पैरा 26(क)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र

		संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
28	पैरा 26(ख)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
29	पैरा 26(ग)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
30	पैरा 26(घ)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
31	पैरा 26(ङ)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
32	पैरा 26(च)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26.12.2017 के द्वारा
33	पैरा 26(छ)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
34	पैरा 26(ज)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
35	पैरा 26(झ)	निर्णीत अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
36	पैरा 27	अनिर्णीत
37	पैरा 28(क)	अनिर्णीत
38	पैरा 28(ख)	अनिर्णीत
39	पैरा 29	अनिर्णीत
40	पैरा 30	अनिर्णीत
41	पैरा 31	अनिर्णीत
42	पैरा 32(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 32(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 33(i)	अनिर्णीत
45	पैरा 33(ii)	अनिर्णीत
46	पैरा 33(iii)	अनिर्णीत
47	पैरा 34(i)	अनिर्णीत

48	पैरा 34(ii)	अनिर्णीत				
49	पैरा 34(iii)	अनिर्णीत				
50	पैरा 37	अनिर्णीत				
51	पैरा 38	अनिर्णीत				
52	पैरा 39	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा			
53	पैरा 40	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा			
54	पैरा 41	अनिर्णीत				
55	पैरा 42	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा			
56	पैरा 43	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा			
57	पैरा 44(क)	अनिर्णीत				
58	पैरा 44(ख)	अनिर्णीत				
59	पैरा 45	अनिर्णीत				
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015						
1	पैरा 3	अनिर्णीत				
2	पैरा 4	निर्णीत	नवीनतम प्रतिवेदन 3/2017 के पत्र संख्या 4 में दर्शाई गयी	स्थिति अवधि 4/2015 से	वर्तमान संख्या 4	अंकेक्षण से में
3	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम प्रतिवेदन 3/2017 के पत्र संख्या 6 में दर्शाई गयी	स्थिति अवधि 4/2015 से	वर्तमान संख्या 6	अंकेक्षण से में
4	पैरा 5.1	निर्णीत	नवीनतम प्रतिवेदन 3/2017 के पत्र संख्या 7 में दर्शाई गयी	स्थिति अवधि 4/2015 से	वर्तमान संख्या 7	अंकेक्षण से में
5	पैरा 5.2	अनिर्णीत				
6	पैरा 6	निर्णीत	नवीनतम प्रतिवेदन 3/2017 के पत्र संख्या 10 (क) में दर्शाई गयी	स्थिति अवधि 4/2015 से	वर्तमान संख्या 10 (क)	अंकेक्षण से में

			दर्शाई गयी
7	पैरा 6.1	अनिर्णीत	
8	पैरा 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017 के पैरा संख्या 11 में दर्शाई गयी
9	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017 के पैरा संख्या 12 में दर्शाई गयी
10	पैरा 9	अनिर्णीत	
11	पैरा 10	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12	अनिर्णीत	
14	पैरा 13	अनिर्णीत	
15	पैरा 14	अनिर्णीत	
16	पैरा 15	अनिर्णीत	
17	पैरा 16	अनिर्णीत	
18	पैरा 17	अनिर्णीत	
19	पैरा 18	अनिर्णीत	
20	पैरा 19	अनिर्णीत	
21	पैरा 20	अनिर्णीत	
22	पैरा 21	अनिर्णीत	
23	पैरा 22	अनिर्णीत	
24	पैरा 23	अनिर्णीत	
25	पैरा 24	अनिर्णीत	
26	पैरा 25	अनिर्णीत	
27	पैरा 26	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
28	पैरा 27	अंशतः निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा (As advance given vide vr.no. 110f 2009, vr. No. 6 of 7/2010 vr. No.35 of 8/2010 for purchase of postage stamps have been adjusted . Vr. No.18 of 7/2010 for refreshment.)

29	पैरा 28 (i)	निर्णीत	निविदा की पुष्टि के उपरांत
30	पैरा 28 (ii)	निर्णीत	मांग पत्र की पुष्टि के उपरांत
31	पैरा 29	अनिर्णीत	
32	पैरा 30	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
33	पैरा 30.1	अनिर्णीत	
34	पैरा 30.2	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
35	पैरा 31	निर्णीत	अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548/2011-Fin(LA)Vol.1 दिनांक 26-12-2017 के द्वारा
36	पैरा 32 (क)	निर्णीत	भंडार पंजिका के पृष्ठ संख्या 16 तथा 79 पर मदों की प्रविष्टी की पुष्टि करने के उपरांत
37	पैरा 32 (ख)	निर्णीत	कार्यवाही की पुष्टि गत अंकेक्षण के दौरान की गयी
38	पैरा 32 (ग)	अनिर्णीत	
39	पैरा 33	अनिर्णीत	
40	पैरा 34	अनिर्णीत	
41	पैरा 35	अनिर्णीत	
42	पैरा 36	अनिर्णीत	
43	पैरा 37	अनिर्णीत	
44	पैरा 38	अनिर्णीत	
45	पैरा 39 (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा 39 (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा 39 (ग)	अनिर्णीत	
48	पैरा 39 (घ)	अनिर्णीत	
49	पैरा 39 (ड.)	अनिर्णीत	

पैरो का सार

अन्तशेष	328
लगाए गए पैरे	(-) 27
निर्णीत पैरे	42
अन्तशेष	313

नोट:—पैरों की संख्या क्रमानुसार दर्शाए गए पैरों/उप पैरों के आधार पर की गई है।